

फर्द अहकाम

{ नियम 26 }

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी का मुकाम

बशीरलाल पुत्र उमाशंकर पुत्र शंकर प्रकाश प्रसाद बसन्त बाना मालय शंकरपाल शंकरपाल (बसन्त)
 किरम मुकदमा संख्या 88 188 नं. 2060115 सन् 2060115

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

126/11 वकील बशीरलाल पुत्र उमाशंकर पुत्र शंकर प्रकाश प्रसाद बसन्त के द्वारा वकील मालय शंकरपाल शंकरपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पेश की गई है।
 मालय शंकरपाल शंकरपाल के द्वारा पेश की गई पत्रावली का वासी का वाद पूर्ण कर उक्त पत्रावली को 30.6.15 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)

206/11 आज श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य से बाहर हैं। अतः पत्रावली दिनांक 13.8.15 को पेश हो।

138/11 पत्रावली पेश हुई।

138/11 पत्रावली पेश हुई। वकील वकील प्रकाश प्रसाद के द्वारा तारीख 7.8.15 को पेश की गई है।
 सभ्य तलबना पेश किए सभ्य पेशी के पत्रावली दिनांक 8.9.15 को पेश है।

89/15 पत्रावली पेश हुई। वकील वकील प्रकाश प्रसाद के द्वारा तारीख 15.10.15 को पेश हो।

15/10/15 पत्रावली पेश हुई। वकील वकील प्रकाश प्रसाद के द्वारा तारीख 10.12.15 को पेश है।

9/12/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
बधारे है पत्रावली दिनांक 19/12/18
को पेश हो।

19.12.18 वकील वादी उपण प्रतिवादीगण के
सम्मन पेश कले हेतु समय चाहिए है पूर्व में
कई बार अन्तिम अवसर दिया गया है कोर्ट पर
समय दिया गया है जिसके बावजूद समय
चाहते है न्यायाहित में एक अन्तिम अवसर और
दिया जाता है दि 26/12/18 को पेश हो।

26/12/18 पत्रावली पेश बार एसोसियशन में
कन्वेंशनस कर कार्य स्थगन
का निवेदन किया/ पत्रावली इलाका
हाकर दिनांक 27/12/19 को पेश हो।

24/2/19 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
बधारे है पत्रावली दिनांक 29/4/19
को पेश हो।

29/4/19 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
बधारे है पत्रावली दिनांक 15/7/19
को पेश हो।

15/7/19 वकील वादी उपण वकील वादी आज
सी सम्मन पेश कले हेतु समय चाहिए है फ्रॉम
13.8.15 से समय दिया जा रहा है दि 16.11.16 को
अन्तिम, दि 22.7.17 को कोर्ट पर, 27.5.18 को
अन्तिम, 13.8.18 को कोर्ट पर, 19.10.18 को अन्तिम
कई बार अवसर दिया जा चुका है आगे और
अवसर नहीं दिया जा सकता है।

अतः वादीगण का वाद 0925 CPC के
तहत सम्मन तलबाना के अभाव में जारी
दिया जाता है। पत्रावली दौसल शुभा होना
हाजिर दफ्तर है।

उपस्थान अधिकारी
नावां (नागौर)